उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-35/2019-20

मो0 कृष्णा देवी

बनाम्

देवेन्द्र भगत एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक	
09/01/	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मो0 कृष्णा देवी, पति-स्व0 राज किशोर भगत, सा0-कठौन, थाना-गोड्डा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0-32/09-10 आदेश दिनांक-27.09.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0-32/09-10 के आदेश दिनांक-27.09.2019 के द्वारा देवेन्द्र प्र0 भगत, पिता-स्व0 सीता राम भगत को मौजा-कठौन थाना नं0-466 का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-कठौन थाना नं0-466 प्रधानी मौजा है। हरवंश भगत मौजा के गत प्रधान थे। हरवंश भगत अपने जीवन काल तक प्रधानी कार्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। उनके दो पुत्र सीता राम भगत एवं जयनारायण भगत हुए। लेकिन दोनों ने प्रधानी पद के लिए अपने जीवन काल में दावा नहीं किये। सीताराम भगत को पाँच पुत्र क्रमशः राजकिशोर भगत, जुगलकिशोर भगत, देवेन्द्र भगत, महेन्द्र भगत एवं रविन्द्र भगत हुए। पाँच पुत्र में से दो पुत्र राजकिशोर भगत एवं देवेन्द्र भगत ने उक्त मौजा के प्रधानी पद के लिए संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन दाखिल किया। प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान ही राजकिशोर भगत की मृत्यु हो गयी। अपीलकर्त्ता राजकिशोर भगत की विधवा पत्नि है और गत प्रधान के ज्येष्ट वंशज होने के आधार पर उनके विधवा पत्नी का ही दावा बनता है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के दावा को खारिज किया गया है। जबकि उत्तरवादी देवेन्द्र भगत अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है एवं वे मौजा-कठौन में निवास नहीं करते हैं। बल्कि उत्तरवादी गोड्डा में स्थायी रूप में निवास करते हैं, जिसकी दूरी एक मील से अधिक है। इस प्रकार

उत्तरवादी प्रधानी पद के लिए योग्य नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि हरवंश भगत मौजा–कठौन के अंतिम प्रधान थे। हरवंश भगत को दो पुत्र सीता राम भगत एवं जयनारायण भगत हुए। सीताराम भगत को पाँच पुत्र क्रमशः राजकिशोर भगत, जुगलकिशोर भगत, देवेन्द्र भगत, महेन्द्र भगत एवं रविन्द्र भगत हुए। उनका आगे कथन है कि उक्त प्रधानी पद के लिए पाँच पुत्र में से दो पुत्र राजकिशोर भगत एवं देवेन्द्र भगत ने वंशानुगत आधार पर प्रधानी पद के लिए दावा किया है। लेकिन पूर्व में ही राजकिशोर भगत को मौजा–माल पड़रिया, अंचल–गोड्डा का प्रधान नियुक्त किया गया है। फिर भी राजकिशोर भगत ने मौजा–कठौन के प्रधानी पद के लिए दावा किया। राजकिशोर भगत की मृत्यु हो गयी है। उनके स्थान पर उनकी पुत्री ललिता देवी को मौजा–माल पड़रिया का प्रधान नियुक्त किया गया है। ललिता देवी की माँ अपीलकर्त्ता जो काफी वृद्ध है और प्रधानी पद के लिए योग्य भी नहीं है। क्योंकि गत प्रधान के Next heir के आधार पर अपीलकर्त्ता का दावा नहीं बनता है और चूँकि गत प्रधान के वंश क्रम के राजकिशोर भगत एवं युगल किशोर भगत की मृत्यु हो चुकी है। गत प्रधान के Next heir के आधार पर उत्तरवादी देवेन्द्र प्र0 भगत का ही दावा बनता है और उसी दावा के आधार पर निम्न न्यायालय के द्वारा देवेन्द्र भगत को मौजा–कठौन का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय के पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हरवंश भगत मौजा–कठौन के अंतिम प्रधान थे। उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए देवेन्द्र भगत, पे0–स्व0 सीताराम भगत एवं राजकिशोर भगत, पे0–स्व0 सीताराम भगत ने गत प्रधान के उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदन दिया था। राजकिशोर भगत गत प्रधान के ज्येष्ठ पोता हैं और निम्न न्यायालय में प्रक्रिया चलने के दौरान ही राजकिशोर भगत की मृत्यु हुई है। अपीलकर्त्ता राजकिशोर भगत की विधवा पत्नी है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का भी दावा

विचारणीय योग्य प्रतीत होता है। अपीलकर्त्ता का यह भी कथन है कि उत्तरवादी देवेन्द्र भगत अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है एवं वे मौजा–कठौन में निवास नहीं करते हैं, बल्कि वे गोड्डा में स्थायी रूप में निवास करते हैं, जिसकी दूरी एक मील से अधिक है। संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के अनुसार प्रधान का निवास उस मौजा में या उसके एक मील के अंदर होना आवश्यक है। जबकि यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी देवेन्द्र भगत का निवास स्थान मौजा–कठौन में नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–32/09–10 आदेश दिनांक–27.09.2019 को निरस्त किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को इस आदेश के साथ अभिलेख प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलकर्त्ता के दावा पर विचार करते हुए नियमानुसार मौजा–कठौन का प्रधान नियुक्त करेंगे।

पी0पी0-30
11.02.22

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:33:27 +05:30
Location: 192.168.29.8